न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 21/2025

अपीलांट्स –
गोधुसिंह पुत्र श्री शेरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी लालाणियों की ढाणी बाड़मेर हाल निवासी नेहरू नगर, तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. तहसीलदार बाड़मेर
2. लुणसिंह पुत्र शेरसिंह
3. जवारसिंह पुत्र शेरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी लालाणियों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर
4. भगवती चौधरी पत्नी अनिल कुमार जाति जाट निवासी जसाई तहसील व जिला बाड़मेर
5. नवलाराम पुत्र राणाराम जाति जाट निवासी राजीव नगर तहसील बाड़मेर व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 2821–23 दिनांक 28.06.2016 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री कुन्दनसिंह चौहान, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री कानाराम अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री दानसिंह राठोड़, रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
4. श्री कैलाश सारण, रेस्पो0 संख्या 04 व 5 की ओर से उपस्थित।
5. रेस्पो0 सं. 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 22.12.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 2821–[illegible] 28.[illegible]रूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त [illegible]यों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 1361/855 [illegible] खातेदारान के नाम[illegible]ारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो[illegible] विभाजन हेतु प्रार्थना[illegible]पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:57:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी बाड़मेर आगौर की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 2821–23 दिनांक 28.06.2016 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.05.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक मौजा लालाणियों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 1361/855 रकबा 38–06 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में अपीलांट का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 2 व 3 प्रत्येक के हिस्से में 1/3 भूमि खातेदारी में बनती है। तथा इन्ही हिस्सों माफिक पक्षकारान बाहमी तौर से किये गये बंटवाडा माफिक काबिज है। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से माफिक बाहमी तौर से किये गये बंटवाडा माफिक उतरदाता संख्या 1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें मुख्य बात यह तय हुई कि किसी भी पक्षकार का ढाणीयां व पानी का टांके व चारागाह प्रभावित नहीं होगे तथा कोई भी पक्षकार आवागमन के रास्ते में एक–दूसरे को किसी प्रकार की रूकावट नहीं करेगें। उतरदातागण संख्या 2 व 3 का विश्वास कर अपीलांट ने कुछ खाली पेपरों पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशानात किये लेकिन उक्त पेपरों के साथ संलग्न नक्शा मे उस समय कोई रंग भरे हुए नहीं थे तब उतरदाता संख्या 2 व 3 ने बताया कि पटवार हल्का मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार ढाणीयां व पानी का टांके व चारागाह को बिना प्रभावित करते हुए सही रंग भरेगे। उतरदाता संख्या 2व3 ने हल्का पटवारी से मिलावट कर नक्शा मे अपनी मनमर्जी से रंग भरवा कर कागजात उतरदाता संख्या 1 के समक्ष पेश किये। पटवारी हल्का व उतरदाता संख्या 2व3 पर विश्वास करके अंगुष्ठ निशान एवं हस्ताक्षर कर हल्का पटवारी की उपस्थिति में विभाजन हेतु सौंप दिये जिस पर उतरदाता संख्या 1 द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि कुछ अर्सा पूर्व जब उतरदाता संख्या 2 व 3 द्वारा अपीलांट्स की रहवासी ढाणीयां व पानी का टांके व चारागाह अपने हिस्से मे आने का बताया तथा अपीलांट के आवागमन में बाधाएं डाल कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:57:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

रास्तो को अवरूद्ध किया जिस पर अपीलांट को अपने हक संशयप्रद लगे तब अपीलांट ने उक्त सहमति विभाजन की तहसीलदार बाड़मेर नकलें मांगी जो नकले अपीलांट्स को प्राप्त हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट्स मय अधिवक्ता उपस्थित अधिवक्ता होकर राजीनामा प्रस्तुत किया तथा प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक भूमि मौजा लालाणियों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 1361/855 रकबा 38-06 बीघा आई हुई है। पक्षकारान के मध्य विभाजन कब्जे-काश्त अनुसार नहीं होने से अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट्स को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उजर ऐतराज नहीं है।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा लालाणियों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 1361/855 रकबा 38-06 बीघा भूमि खातेदारान के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र पेश कर प्रार्थना-पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी बाड़मेर आगौर की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 2821-23 दिनांक 28.06.2016 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.05.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन विभाजन मौके पर भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास के अनुसार नहीं किया गया। जिससे अपीलांट की ढाणीयां व पानी का टांके व चारागाहे इत्यादि उतरदातागण के हिस्से मे चली गई। पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवाडे अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जे काश्त में भारी भिन्नता है। जिस कारण अपीलांट की ढाणीयां व पानी का टांके व चारागाहे इत्यादि उतरदातागण के कब्जे मे चले गये है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता के इस अभिकथन का अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा ताईद करते हुए जरिये राजीनामा अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने बाबत अनापत्ति प्रकट की गई हैं। अपीलांट्स के मुख्य कथन में प्रकट किया गया है कि पक्षकारान की पृथक-पृथक रहवासी ढाणीयां व पानी का टांके व चारागाहे इत्यादि बने हुए है तथा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा प्रकट तथ्यों एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:57:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 2821–23 दिनांक 28.06.2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:57:04 IST
Reason: SelfAttested